रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112022-240626
CG-DL-E-28112022-240626

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 762] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2022/अग्रहायण 7, 1944
No. 762] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2022/AGRAHAYANA 7, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2022

सं. 30/2022- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 853(अ).—जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "कास्ट एल्यूमीनियम एलाय व्हील्स या एलाय रोड व्हील्स (ARW) जिनका प्रयोग मोटर वाहनों में होता है, चाहे इसमें सहायक उपकरण लगे हों या नहीं, जिनका व्यास 12 इंच से 24 इंच तक हो" जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप शीर्षक 8708 70 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 09 अप्रैल, 2019, जिसे सा.का.नि. संख्या 296(अ), दिनांक 09 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के मामले में अधिसूचना संख्या 7/12/2021-डीजीटीआर, दिनांक 01 सितम्बर, 2021, जिसे दिनांक 01 सितम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिन्हें उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 (1क) के साथ पठित, सीमा शुल्कं टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क के अनुसार मध्यावधि समीक्षा शुरू की थी;

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/12/2021-डीजीटीआर, दिनांक 30 अगस्त, 2022, जिसे दिनांक 30 अगस्त, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने मध्यावधि समीक्षा के अंतिम निष्कर्षों में यह सिफारिश की है कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "कास्ट एल्यूमीनियम एलाय व्हील्स या एलाय रोड व्हील्स (ARW) जिनका प्रयोग मोटर वाहनों में होता है, चाहे इसमें सहायक उपकरण लगे हों या नहीं, जिनका व्यास 12 इंच से 24 इंच तक हो" के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 09 अप्रैल, 2019, जिसे सा.का.नि. संख्या 296(अ), दिनांक 09 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए शुल्क की प्रमात्रा में संशोधन किए जाने की जरूरत है।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 09 अप्रैल, 2019, जिसे सा.का.नि. संख्या 296(अ), दिनांक 09 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

i. "विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात " शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "कॉलम (8) की तत्संमबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-" शब्दों से समाप्त होने वाले हिस्से के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों और अधिसूचना संख्या 7/12/2021-डीजीटीआर, दिनांक 30 अगस्त, 2022, में प्रकाशित उसके अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात विषयगत वस्तु पर जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप-शीर्षक/टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, जो कि कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संसबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा और माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, "

ii. पहले की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा;-

"सारणी

क्र.सं.	उप शीर्षक/ टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	मुद्रा/माप इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	8708 70	कास्ट एल्यूमिनियम एलाय व्हील्स या एलाय रोड व्हील्स*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	झेजिआंग जिनफेई कैडा व्हील कंपनी लिमिटेड	0.08	यू एस डॉलर/कि.ग्रा.
2.	8708 70	कास्ट एल्यूमिनियम एलाय व्हील्स या एलाय रोड व्हील्स*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	झेजिआंग शुगुआंग इंडस्ट्रीयल कंपनी लिमिटेड	0.08	यू एस डॉलर/कि.ग्रा.
3.	8708 70	कास्ट एल्यूमिनियम एलाय व्हील्स या एलाय रोड व्हील्स*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	शांगडोंग शुआंगवेंग एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	0.34	यू एस डॉलर/कि.ग्रा.
4.	8708 70	कास्ट एल्यूमिनियम एलाय व्हील्स या एलाय रोड व्हील्स*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	सीआईटीआईसी डाइकेस्टल कंपनी लिमिटेड/एसएमएक्स डाइकेस्टल	1.073	यू एस डॉलर/कि.ग्रा.

					मैन्युफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड/ क्वींगहुआंगडाओ डाइकाझिंगलोंग व्हील मैन्युफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, /क्विंगहुआंगडाओ झिंगलोंग व्हीलस कंपनी लिमिटेड,/बिंजझाओ मूवेवर डाइकेस्टल व्हील कंपनी लिमिटेड		
5.	8708 70	कास्ट एल्यूमिनियम एलाय व्हील्स या एलाय रोड व्हील्स*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 1, 2, 3 और 4 में उल्लिखित से भिन्न कोई भी उत्पादक	2.15	यू एस डॉलर/कि.ग्रा.
6.	8708 70	कास्ट एल्यूमिनियम एलाय व्हील्स या एलाय रोड व्हील्स*	चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के अलावा कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	2.15	यू एस डॉलर/कि.ग्रा.
7.	8708 70	कास्ट एल्यूमिनियम एलाय व्हील्स या एलाय रोड व्हील्स*	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य समेत कोई भी देश	कोई	1.18	यू एस डॉलर/कि.ग्रा.
8.	8708 70	कास्ट एल्यूमिनियम एलाय व्हील्स या एलाय रोड व्हील्स*	चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के अलावा कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई	1.18	यू एस डॉलर/कि.ग्रा.
9.	8708 70	कास्ट एल्यूमिनियम एलाय व्हील्स या एलाय रोड व्हील्स*	थाईलैंड	थाईलैंड समेत कोई भी देश	कोई	1.06	यू एस डॉलर/कि.ग्रा.
10.	8708 70	कास्ट एल्यूमिनियम एलाय व्हील्स या एलाय रोड व्हील्स*	चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के अलावा कोई भी देश	थाईलैंड	कोई	1.06	यू एस डॉलर/कि.ग्रा.

** मोटर वाहनों में प्रयुक्त कॉस्ट एल्युमीनिम अलॉय व्हील्स या अलॉय रोड व्हील्स (एआरडब्ल्यू) चाहे उनकी सहायक सामग्री से जुड़े हों अथवा नहीं, जिनका आकार 12 इंच से 24 इंच के व्यास वाला हो।"*

[फा. सं. 190354/294/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2022

No. 30/2022 – Customs (ADD)

G.S.R. 853(E).—Whereas, the designated authority, vide notification number 7/12/2021- DGTR, dated the 1st September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 1st September, 2021 had initiated a mid-term review in accordance with section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 23(1A) of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of anti-dumping duty on imports of "Cast Aluminum Alloy Wheels or Alloy Road Wheels (ARW) used in motor vehicles, whether or not attached with their accessories, of a size in diameters ranging from 12 inches to 24 inches", falling under the sub-heading 8708 70 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported from China PR, Korea RP and Thailand, imposed vide notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 17/2019-Customs(ADD), dated the 9th April, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 296(E), dated the 9th April, 2019;

And whereas, the designated authority, in its final findings in the mid-term review vide notification No. 7/12/2021-DGTR, dated the 30th August, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 30th August, 2022, has recommended that there is a need for modification of the quantum of duty imposed on the imports of "Cast Aluminum Alloy Wheels or Alloy Road Wheels (ARW) used in motor vehicles, whether or not attached with their accessories, of a size in diameters ranging from 12 inches to 24 inches" originating or exported from China PR, imposed vide notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 17/2019-Customs(ADD), dated the 9th April, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 296(E), dated the 9th April, 2019;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18, 20 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 17/2019-Customs (ADD), dated the 9th April, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 296(E), dated the 9th April, 2019, namely :-

In the said notification,

i. for the portion beginning with the words "after considering the aforesaid final findings of the designated authority" and ending with the words "per unit of measurement specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table", the following shall be substituted, namely: -

"after considering the aforesaid final findings and the final findings issued vide F.No. 7/12/2021-DGTR, dated the 30th August, 2022 of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating from the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency and per unit of measurement specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table." ;

ii. for the Table, the following Table shall be substituted, namely: -

"Table

Sl . No.	**Sub-heading / Tariff Item**	**Description of Goods**	**Country of origin**	**Country of export**	**Producer**	**Duty Amount**	**Unit**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	8708 70	Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels*	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co., Ltd.	0.08	USD/KG
2.	8708 70	Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels*	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Shuguang Industrial Co., Ltd.	0.08	USD/KG

3.	8708 70	Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels*	China PR	Any country including China PR	Shandong Shuangwang Aluminium Industry Co., Ltd.	0.34	USD/KG
4.	8708 70	Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels*	China PR	Any country including China PR	CITIC Dicastal Co Ltd./ SMX Dicastal Wheel Manufacture Co., Ltd./ Qinhuangdao Daikaxinglong Wheel Manufacturing Co., Ltd./ Qinhuangdao Xinglong Wheels Co., Ltd./ Binzhou Movever Dicastal Wheel Co. Ltd.	1.073	USD/KG
5.	8708 70	Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels*	China PR	Any other country including China PR	Any producer other than at serial no. 1, 2, 3 and 4	2.15	USD/KG
6.	8708 70	Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels*	Any country other than China PR, Korea RP and Thailand	China PR	Any	2.15	USD/KG
7.	8708 70	Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels*	Korea RP	Any other country including Korea RP	Any	1.18	USD/KG
8.	8708 70	Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels*	Any country other than China PR, Korea RP and Thailand	Korea RP	Any	1.18	USD/KG
9.	8708 70	Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels*	Thailand	Any other country including Thailand	Any	1.06	USD/KG
10.	8708 70	Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels*	Any country other than China PR, Korea RP and Thailand	Thailand	Any	1.06	USD/KG

*Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels (ARW) used in Motor Vehicles, whether or not attached with their accessories, of a size in diameters ranging from 12 inches to 24 inches.”.

[F. No. 190354/294/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.11.28 23:28:04 +05'30'